UPBJ010057772026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी–(संजय कुमार–VII), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP1997

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः–2197/2026

रणजीत उर्फ सोनू व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार

आवेदकगण की ओर से श्री अजयपाल सिंह, एडवोकेट,

राज्य की ओर से श्री वरूण कुमार राजपूत, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

दिनांकः–10–07–2026

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **रणजीत उर्फ सोनू, अमनदीप सिंह** व **बन्टी उर्फ वेअन्तरूप** की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों व केस डायरी का अवलोकन किया।

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–128/2025, धारा–110,115(2),333,352,351(3),117(2),118(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना मण्डावली, जिला बिजनौर के प्रकरण में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया कि उन्हें उपरोक्त मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है। वादी के सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वादी ने प्रार्थीगण के साथ मारपीट की थी उसी कानूनी कार्यवाही से बचने व फैसले का दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा लिखाया गया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण को सम्बन्धित पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सम्भावना है। अतः प्रार्थीगण द्वारा दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट व पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण पर दिनांक 09.10.2025 को वादी कुलवेन्द्र सिंह के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डंडे व सरिये से मारपीट करने, वादी द्वारा अपने भाई सुखविन्द्र के घर में घुसकर जान बचाने पर अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देते हुये वादी व उसके चाचा जगीर सिंह के साथ मारपीट करने व वादी के सिर में गण्डासी मारने का आरोप है।

उपरोक्त मामला वर्ष 2025 की घटना से संबंधित है। उपरोक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन के विलंब से लिखायी गयी है। अभियुक्तगण द्वारा की गयी कथित मारपीट से वादी कुलवेन्द्र सिंह के तीन चोटें आना बताया गया है जो कि सभी साधारण प्रकृति की हैं तथा चोटिल जगीर सिंह के भी तीन चोटें आना बताया गया है, इस चोटिल की चोट नं01 के अलावा अन्य सभी को साधारण प्रकृति की होना बताया है, चोटिल की चोट नं01 को अंगुली में फ्रेक्चर के आधार पर गंभीर प्रकृति की

बतायी गयी है। उपरोक्त मामले में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण को उपरोक्त मामले में धारा–35(3) बी0एन0एस0एस0 के नोटिस पर थाने से जमानत पर होना बताया गया है। उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय तथा अधिकतम सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। अभियुक्तगण का पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था–**सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन आदि 2022(3) क्राइम्स 290 (एस0सी0)** में दिये गये विधिक सिद्धांतों के प्रकाश में व प्रकरण के तथ्यों एवं प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक को **पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये** के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो–दो प्रतिभू निम्न शर्तों के अधीन दाखिल करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1– अभियुक्तगण मामले से संबंधित किसी भी साक्षी को डरायेंगे व धमकायेंगे नहीं।

2– अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

4– अभियुक्तगण न्यायालय में आरोप विरचन की तिथि, बयान धारा–313 दं0प्र0सं0/351 बी0एन0एस0एस0 के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो संबंधित न्यायालय/विवेचक अभियुक्तगण को दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

(संजय कुमार–VII)
सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।
10.07.2026